



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21082026-275661
CG-DL-E-21082026-275661

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4447]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 21, 2026/श्रावण 30, 1948

No. 4447]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 21, 2026/SHRAVAN 30, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2026

सं. 115/2026-सीबीडीटी

का.आ. 4628(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45(4)(ख) के अनुपालन में, केंद्र सरकार, एतद्वारा, 2025 के उक्त अधिनियम की धारा 45(3)(क)(i) और आयकर नियमावली 2026 के नियम 32 और 33 के प्रयोजनों के लिए, रिसर्च एसोसिएशन की श्रेणी के तहत इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, तमिलनाडु (पैन: AAATF0061E) को अनुसंधान संगठन की श्रेणी के अंतर्गत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए अनुमोदित करती है।

2. यह अधिसूचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायो टेक्नोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, तमिलनाडु पर कर वर्ष 2026- 2027 से 2030-2031 के लिए इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि,

- (i) यह आयकर नियमावली, 2026 के नियम 33 में निर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करेगा;
- (ii) फॉर्म संख्या 15 में प्रत्येक कर वर्ष के लिए आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 45 (4) (क) के तहत विवरण तैयार करेगा और उसे उस कर वर्ष जिसमें दान प्राप्त हुआ है के तुरंत बाद, आयकर नियम, 2026 के नियम 31 के अनुसार, आयकर महानिदेशक (प्रणाली) या उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति को 31 मई को या उससे पहले प्रस्तुत करेगा या करवायेगा;
- (iii) करदाता को प्रपत्र संख्या 16 में एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें आयकर नियमावली, 2026 के नियम 31 के अनुसार दान की राशि को विनिर्दिष्ट की गयी हो।

[फा. सं. 203/29/2025/आईटीए-II]

इंदु बाला, उप सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2026

No. 115 of 2026-CBDT

S.O. 4628(E).— In pursuance of the section 45(4)(b) of the Income-tax Act, 2025, the Central Government hereby approves the International Institute of Bio Technology and Toxicology, Tamil Nadu (PAN: AAATF0061E) for Scientific Research under the category of Research Association, for the purposes of section 45(3)(a)(i) of the said Act of 2025 and rules 32 and 33 of the Income-tax Rules, 2026.

2. This notification shall be applicable to the International Institute of Bio Technology and Toxicology, Tamil Nadu for the tax years 2026- 2027 to 2030-2031, subject to the conditions that it shall—

- (i) comply with the conditions specified in rule 33 of the Income-tax Rules, 2026;
- (ii) prepare statement under section 45(4)(a) of the Income-tax Act, 2025 for each tax year in Form No.15 and deliver or cause to be delivered to the Director General of Income-tax (Systems) or the person authorised by him on or before the 31st May, immediately following the tax year in which the donation is received, in accordance with rule 31 of the Income-tax Rules, 2026;
- (iii) furnish to the donor, a certificate in Form No.16 specifying the amount of donation in accordance with rule 31 of the Income- tax Rules, 2026.

[F. No. 203/29/2025/ITA-II]

INDU BALA, Dy. Secy.